भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

केंद्रीय संचार ब्यूरो

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

मिसिल संख्या: सीओ(एवी)/ प्रा.एफएम पैनलबद्धता/2024(पार्ट-II) 1जुलाई, 2025

परामर्शिका

विषय: सीबीसी में प्राइवेट एफएम स्टेशनों की पैनलबद्धता के संबंध में।

यह निर्णय लिया गया है कि प्राइवेट एफएम स्टेशनों (जो अभी सीबीसी में पैनलबद्ध नहीं है) की पैनलबद्धता के लिए 1-21 जुलाई, 2025 तक 03 सप्ताह की अवधि के लिए ऑनलाइन विंडो खुली रहेंगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक सीबीसी की वेबसाइट के मेन्यू- फ्रेश एम्पैनलमेंट-ऑडियो विजुअल- प्रा. एफएम टैब के अंतर्गत उपलब्ध होगी। कृपया ध्यान रखें कि लिंक 1 जुलाई, 2025 से खुलेगा।

2. सीबीसी में पैनलबद्धता के लिए, एफएम स्टेशन कम से कम 6 माह पुराना हो, 16 घंटे प्रति दिन प्रसारण करता हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी वैध अनुमति अनुदान करार (जीओपीए) उपलब्ध हो और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डब्लयूपीसी विंग द्वारा जारी वैध वायरलेस परिचालन लाइसेंस (डब्लयू ओ एल) उपलब्ध हो। पैनलबद्धता के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं (जो ऑनलाइन आवेदन के साथ अनिवार्य रुप से अपलोड किए जाने चाहिए):

i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित वैध अनुमति अनुदान करार (जीओपीए) की प्रति।

ii) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डब्लयूपीसी विंग द्वारा जारी वैध वायरलेस परिचालन लाइसेंस (डब्लयू ओ एल) की प्रति

iii) पिछले 06 माह में प्रात: 7:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक जब एफएम स्टेशन परिचालित होते हैं, का कार्यक्रम विवरण। आवेदन की तिथि से पहले पिछले एक माह में प्रसारित कार्यक्रम वाली यूएसबी ड्राइव (पेनड्राइव)/ हार्ड डिस्क।

iv) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/ इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस (इसीएस) के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) विवरण सहित कम्पनी के मुद्रित नाम वाली कैंसिल्ड चेक

v) निर्धारित राजस्व विवरण, नवीनतम लाभ एवं हानि खाते, बैलेंस शीट और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवा कर सहित वास्तविक कर भुगतान और आवेदन की तिथि से पहले पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निजी एफएम

रेडियो स्टेशनों द्वारा सृजित विज्ञापन राजस्व की राशि के लिए लेखा परीक्षक/कंपनी सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।

vi) निजी एफएम रेडियो स्टेशन या तो प्रसारण प्रमाण पत्र (बीसी) का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करेंगे या यह वचन देंगे कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय वास्तविक बिलों के साथ प्रसारण प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।

vii) भारतकोश के माध्यम से प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य) के रूप में 10,000/- रुपये का ऑनलाइन भुगतान। कोई अन्य भुगतान मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

viii) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के कार्यकारी द्वारा सत्यापित पत्र जिसमें बिल/बीसी के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का उल्लेख हो।

ix) समूह/हॉल्डिंग कंपनी/मीडिया हाउस द्वारा हस्ताक्षरित सूची प्रदान किया जाना जिसमें स्टेशन का नाम, प्रचालन की आवृत्ति और राज्य का उल्लेख हो, जिससे आवेदक एफएम रेडियो स्टेशन संबंधित है।

3. सीबीसी में पैनलबद्ध होने के इच्छुक सभी एफएम स्टेशनों (वर्तमान में सीबीसी के साथ पैनलबद्ध नहीं हैं) को निर्धारित अवधि (1 से 21 जुलाई, 2025 तक) के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, पिछले एक महीने में प्रसारित कार्यक्रमों वाली यूएसबी ड्राइव (पेनड्राइव)/ हार्ड डिस्क को निम्नलिखित पते पर जमा करना होगा:

सुश्री सुमेधा भारद्वाज,
सहायक निदेशक, सीबीसी (पूर्ववर्ती डीएवीपी)
कमरा नंबर 240, दूसरी मंजिल,
सूचना भवन, लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुमेधा

(सुमेधा भारद्वाज)
सहायक निदेशक